भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2215

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

महाराष्ट्र में उर्वरक की उपलब्धता

2215. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन खरीफ और रबी के मौसम के दौरान महाराष्ट्र में यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की कुल आवश्यकता और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महाराष्ट्र के किसी जिले में कोई कमी दर्ज की गई है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को इनकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) क्या उर्वरकों के अन्यत्र उपयोग या कालाबाजारी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): महाराष्ट्र राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम का प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें होती हैं ताकि राज्यों को पर्याप्त रैक मिलें, उर्वरकों को प्राथमिकता दी जाए और रैक की समय पर निकासी कराई जा सके।

हालांकि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का आकलन एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पिछले तीन खरीफ और रबी मौसमों और चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान दिनांक 08.12.2025 तक महाराष्ट्र राज्य में यूरिया, डीएपी, और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और इनके शेष स्टॉक के संबंध में सूचना **अनुलग्नक-क** में दी गई है **।**

(घ): विपथन और कालाबाजारी के मामलों को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को कथित कदाचारों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। इन कदाचारों के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक की अवधि में इन कदाचारों के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रवर्तन उपाय **अनुलग्नक-ख** में दिए गए हैं।

****

यह अनुलग्नक दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2215 के उत्तर के भाग (क) से (ग) से संबंधित है।

अनुलग्नक

महाराष्ट्र में पिछले 3 और वर्तमान मौसम-वार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	मौसम	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	रबी 2025-26 (08.12.25 तक)	3.65	7.76	3.33	1.10	2.22	1.04	0.51	0.99	0.32	4.58	11.06	4.00
2	खरीफ 2025	15.52	19.11	15.72	4.60	4.66	3.10	1.20	2.39	1.59	18.00	25.29	18.79
3	रबी 2024-25	10.00	17.20	10.88	2.50	3.32	2.51	1.00	2.31	1.10	12.00	19.33	10.45
4	खरीफ 2024	13.73	21.67	15.54	5.00	4.78	3.96	1.30	2.23	1.13	18.00	24.84	18.34
5	रबी 2023-24	10.00	15.86	8.26	2.50	3.47	1.91	1.10	1.32	0.60	11.00	18.18	7.16
6	खरीफ 2023	13.74	18.84	15.22	4.50	7.19	5.46	1.90	1.42	0.82	15.50	23.79	15.88
7	रबी 2022-23	9.79	16.45	10.72	2.50	5.23	3.07	1.30	0.94	0.65	9.50	17.22	8.79
8	खरीफ 2022	15.50	19.62	13.94	5.70	4.94	4.11	3.00	1.21	0.74	14.00	16.87	11.67

1 सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2215 के उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है।

अप्रैल 25 से नवम्बर 25 (28.11.2025 तक) तक का संचयी विवरण																	
01.04.2025 से 28.11.2025 तक उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई																	
		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन				कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	विवरण के साथ दोषसिद्ध*	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
महाराष्ट्र	44059	16	0	16	0	0	0	1155	1139	37	1	73	1	शून्य	1172	1212	54